कार्यवृत्त

सोमवार, 29 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 20 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड–26
अंक–6

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–10 पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होने पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस तथा बसपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष ने कहा कि संगत नियमों के अन्तर्गत सूचना दे तो वे इस पर विचार कर लेंगे, इस पर सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।

नियम–300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :–

1. श्री सुरेन्द्र राकेश (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार के भगवानपुर ब्लाक में रा0ई0 कालेज चांली छापुर का निर्माण एवं रा0बा0 हाईस्कूल भगवानपुर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
2. हाजी तसलीम अहमद (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद हरिद्वार में गुज्जर बस्ती पदार्था में सरकारी सिंचाई नलकूप न चलने की समस्या के सम्बन्ध में।
3. श्री यशपाल बेनाम (पढ़ी हुई मानी गई)	विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल मोख का भवन निर्माण अधूरा छोड़ने के सम्बन्ध में।
4. श्री प्रेमानन्द महाजन (पढ़ी हुई मानी गई)	जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड गदरपुर में रा0इ0 कालेज जयनगर में संगीत विषय प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग वर्ष, 2007–08 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष, 2007–08 का वार्षिक लेखा को सदन के पटल पर रखा।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

जनपद हरिद्वार के औद्योगिक संस्थानों द्वारा रसायनयुक्त जल को भूमि में बोरिंग कराकर डालने के कारण आस पास के गावों में दूषित पेयजल विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र राकेश ने अपने विचार व्यक्त किए। पेयजल मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया। किन्तु निदेश दिया कि किसी उच्च अधिकारी को भेजकर निरीक्षण करा लिया जाय तथा इस सम्बन्ध में आख्या से दिनांक 22 जुलाई, 2009 तक अवगत कराया जाय।

सीमान्त जनपद चम्पावत के बनबसा स्थित जगबूड़ा पुल ध्वस्त होने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग हेतु राज्य सेक्टर तथा जिला सेक्टर में योजनागत धनावंटन नहीं किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश के कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/स्वयं सेवकों को सेवा से पृथक किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा राज्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज में दिनांक 14 दिसम्बर, 2008 को थारू जनजाति के मृतक श्री सुभाष राणा पुत्र श्री मुलू सिंह के परिजनों द्वारा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह राणा ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

गन्ना मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय।

श्री तिलक राज बेहड़ ने अपने विचार व्यक्त किए।

गन्ना मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

गन्ना मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश गन्ना (खरीद एवं पूर्ति विनियम) अधिनियम, 1953} (संशोधन) विधेयक, 2009 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल के भाषण से आगे जारी हुई।

श्री तिलक राज बेहड़ के भाषण के मध्य चर्चा भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा श्री तिलक राज बेहड़ के भाषण से पुनः आगे जारी हुई।

निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री प्रेमानन्द महाजन,
श्री गगन सिंह रजवार,
श्री यशपाल आर्य,
चौ0 यशवीर सिंह,
श्री प्रेमचन्द अग्रवाल,
श्री प्रीतम सिंह,
मौ0 शहजाद,
श्री ओम गोपाल,
श्री महेन्द्र सिंह महरा,
काजी मौ0 निजामुद्दीन,
श्री दिनेश अग्रवाल तथा
श्री नारायण पाल।

नेता सदन के उत्तर भाषण तथा नेता प्रतिपक्ष के स्पष्टीकरण के उपरान्त आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई।

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में नियम-54 के अन्तर्गत श्री प्रेमानन्द महाजन के भाषण से चर्चा आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने **चर्चा आगे के लिए स्थगित की।**

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई है।

जनपद उत्तरकाशी के उपला टकनौर क्षेत्र में काश्तकारों की नकदी फसलों को ओले, सूखे आदि से हो रही भारी क्षति के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यिासैंण में उच्च क्षमता युक्त विद्युत खम्भों व तारों से आसन्न गम्भीर दुर्घटना से बचाव हेतु इन विद्युत तारों व खम्भों को पर्याप्त दूरी पर स्थानान्तरित करने की मांग के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा अध्ययन में हो रही दिक्कतों के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा राज्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज ब्लाक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सितारगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नानकमत्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म में लम्बे समय से तैनात कर्मचारियों द्वारा कार्य पर ठीक से ध्यान न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 7 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।